

# न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

31 - 14 फार्म सं० 562

आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम - 129

विधि अपील वाद सं० 56R15 वर्ष 08-09 धारा .....

अपीलकर्ता/प्र०प०/आवेदक

**मदन मोहन सिंह कौटिल**

प्रतिवादी/द्वि०प०/विपक्षी

**रामचन्द्र नाग कौटिल**

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्यवाही तिथि सहित
1	2	3
03-09-10	<p>यह आदेश मदन मोहन सिंह उर्फ मदन सिंह च०-स्क० मजु सिंह लाडिन-खेरखई ग्राम-रुनियों द्वारा उपायुक्त खूँटी के न्यायालय के वाद 56R15/08-09 में दिनांक-03-08-2010 को पारित आदेश के विरुद्ध Restoration के लिए अनुरोध किया गया है।</p> <p style="text-align: right;">आवेदन का मूल आदेश के साथ संलग्न कर उपस्थित है।</p> <p style="text-align: right;">12/7/10</p> <p><del>अपीलकर्ता के विरुद्ध अपीलकर्ता के वेतन में 10% की कटौत के आदेश बड़े न्यायालय में अपील है। यह आदेश उक्त आदेश के अन्तर्गत ही दिनांक 21/11/2010 को अपीलकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है। पुनः विपक्षी के पत्रों के अन्तर्गत दिनांक 21/11/2010 को</del></p>	<p style="text-align: right;">12/7/10</p> <p style="text-align: right;">12/7/10</p>

3  
12/7/10


आदेश क्रमांक  
दिनांक  
Order No./Date

आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर  
Order and Signature of Officer

आदेश की मारी  
तारीख और तारीख  
Action taken on order  
with date

01-07-20 अभिलेख उपस्थापित। सरकार की सचिव राज्य  
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग कार्यालय  
सरकार राँची की पत्रांक-332/शं दिनांक  
24-01-20 के द्वारा प्रतिक्रिया है The Bihar  
Tenants Holding (Maintenance of Records)  
Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision  
की सुनवाई करने का अधिकार मात्र Collection  
की है न कि Additional collection अथवा  
Deputy Collection को है।

अतः उक्त नियम। धारा के अन्तर्गत  
में अग्रोवर कारवाई / सुनवाई हेतु अभिलेख  
उपायुक्त सूची के अन्तर्गत हेतु अंतरित  
करे।

  
1.7.2020  
अपर समाहर्ता  
सूची।

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख अपर समाहर्ता सूची के  
अन्तर्गत से अंतरित होकर अपर है।

अभिलेख पर अग्रोवर कारवाई हेतु वाद पंजी में  
दर्ज कर एवं पत्रकारों को सूचना निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक को रहे।